आ. एन. 35646/79
Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
लाइसेंस संख्या 24 - बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए. भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

287
जून
2003

नीति

मुद्रा अंतरण सेवा योजना

रिज़र्व बैंक ने मुद्रा अंतरण सेवा योजना (मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम) (एमटीएसएस) के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। एमटीएसएस विदेशों से भारत में हिताधिकारियों को निजी प्रेषण भेजने के लिए तेज और आसान तरीका है। इस योजना के तहत केवल निजी प्रेषण, मिसाल के तौर पर परिवार के भरण पोषण के लिए भेजे जाने वाले प्रेषण या भारत में पधारने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में प्रेषण भेजने की ही अनुमति होगी। योजना के तहत यह व्यवस्था रहेगी कि विदेशों में ख्यातिप्राप्त मनी ट्रांसफर कम्पनियों और भारत में ऐसे एजेंटों के बीच टाइ-अप रहेगा। भारत में एजेंट चल रही विदेशी मुद्रा दरों पर हिताधिकारियों तक निधियाँ पहुंचायेंगे। योजना के तहत इस तरह से आने वाले प्रेषणों को वापिस भेजने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। भारतीय एजेंट को विदेशी मूल पार्टी (प्रिंसिपल) को एक्सचेंज हानि के खाते में कोई राशि भेजने की अनुमति नहीं होगी।

एमटीएसएस के लिए एजेंट बनने के इच्छुक ऐसे प्राधिकृत व्यापारियों फुल फ्लेज्ड मनी चेंजरों (एफएफएमजी) या पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, आइएटीए अनुमोदित ट्रेवल एजेंटों, जिनकी न्यूनतम निवल मिल्कियत 25 लाख रुपये हो, को इस तरह की व्यवस्था में शामिल होने से पहले रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेने की जरूरत होगी। एजेंट को किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास स्पेशल रुपया खाता खोलने की अनुमति दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले प्रेषण इसी खाते से हो कर गुजरेंगे। भारतीय एजेंट को विदेशी मूल पार्टी (प्रिंसिपल) से हिदायतों पर हिताधिकारी को पहले अदायगी करनी होगी और एक या दो दिन के भीतर राशि और उनका कमीशन, सामान्य बैंकिंग चैनलों से विदेशी मूल पार्टी द्वारा अदा कर दिये जायेंगे। संभावित भारतीय एजेंटों द्वारा रिज़र्व बैंक से अनुमति के लिए आवेदन भरते समय अमल में लाये जाने के लिए दिशा निर्देश इस तरह से होंगे:

एमटीएस के लिए अनुमति लेने के लिए दिशानिर्देश

भारत में एजेंट कोई ऐसा प्राधिकृत व्यापारी, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी या आइएटीए अनुमोदित ट्रेवल एजेंट होगा जिनकी न्यूनतम निवल मिल्कियत 25 लाख रुपये की होगी। अगर एजेंट कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी हैं तो उन्हें अपने ज्ञापन और अपनी अन्तर्नियमावली में इस आशय का एक खण्ड शामिल करना होगा कि वे मनी ट्रांसफर गतिविधियां कर सकती हैं।

प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/दस्तावेज

आवेदन पत्र के साथ एजेंट को निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(i) यह वचन पत्र कि एजेंट/निदेशक किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा जांच अधीन नहीं है/हैं।

(ii) विदेशी मूल पार्टी का नाम और पता जिसके साथ एमटीएस किया जायेगा।

(iii) विदेशी मूल पार्टी द्वारा योजना को लागू करने के पूरे ब्यौरे। (रिज़र्व बैंक की अनुमति देश विशेष के लिए होगी)

(iv) भारत में शाखाओं की संख्या और उनके पते जहां से एजेंट एमटीएस संचालित करेंगे।

(v) योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह/वर्ष किये जाने वाले कारोबार की संभावित मात्रा।

(vi) पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए, यदि उपलब्ध हो तो तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे।

चयन प्रक्रिया

विदेशी मूल पार्टी

(i) मनी ट्रांसफर गतिविधियां करने के लिए केंद्रीय सरकार या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसशुदा पंजीकृत इकाई हो। जहां मनी ट्रान्सफर गैर लाइसेंसशुदा गतिविधि हो, तो मूल पार्टी उस मेजबान देश में किसी अन्य विनियामक/पर्यवेक्षी निकाय द्वारा लाइसेंसशुदा/पर्यवेक्षित हो।

(ii) ट्रेड/उद्योग निकायों के पास पंजीकृत हों।

(iii) ख्यात नाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक के पास उसकी अच्छी रेटिंग हो।

(iv) वे दो बैंकों से गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करें; और

(v) स्वतंत्र चार्टर्ड एकांउटेंटों की ओर से सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि मेजबान देश में एंटी मनी लॉंडरिंग मानदण्डों को पालन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

कोलेट्रल

विदेशी मूल पार्टी द्वारा भारत में किसी पदनामित बैंक में 50,000 अमेरिकी डालर या 3 दिन के औसत आहरणों के बराबर राशि का कोलेट्रल, जो भी ज्यादा हो, रखा जाना चाहिए। 50,000 अमेरिकी डालर की न्यूनतम राशि विदेशी मुद्रा डिपाजिट के रूप में रखी जानी चाहिए जब कि शेष राशि बैंक गारंटी के रूप में रखी जा सकती है। कोलेट्रल की पर्याप्तता की पिछले छ: माह के दौरान प्रेषणों के आधार पर छमाही आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए।

(पृष्ठ 4 पर जारी)

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
मुद्रा अंतरण सेवा योजना	1
सामान का आयात	2
शहरी सहकारी बैंक	
निदेशकों को ऋण तथा अग्रिम	4
शहरी सहकारी बैंकों की गैर-जमानती अग्रिम की सीमाएं बढ़ायी गयीं	4
अनर्जक ऋणों की पहचान	4
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4
आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज	4
विदेशी मुद्रा	
विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा देशी टैरिफ क्षेत्रों की इकाइयों को सामग्री की आपूर्ति	4

सामान का आयात

आयात के लिए क्रियाविधियों को उदार और आसान बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने सामान, कारोबारी ट्रेड और करेंसी के आयात के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं। पूरा परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है, उसका सार यहां दिया जा रहा है:

चूंकि आयात व्यापार विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा संचालित होता है, प्राधिकृत व्यापारी आयात लेनदेन करते समय, इस बात की तसल्ली कर लें कि भारत में किये जानेवाले आयात यथा लागू निर्यात-आयात नीति तथा भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी विदेशी मुद्रा प्रबंधक (चालू खाता लेनदेन) नियमावली 2000 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुरूप हैं।

सामान का आयात

प्राधिकृत व्यापारी अपने सभी लेनदेनों में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिये के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन करें। जहां पर खास विनियम उपलब्ध न हो, प्राधिकृत व्यापारी सामान्य कारोबार व्यवहारों का पालन करें।

भारत में आयात के लिए 500 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर की राशि से अधिक के लिए भुगतान करने के लिए व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों से आवेदनपत्र उपयुक्त फार्म A1 में किये जायें।

आयात लाइसेंस

प्राधिकृत व्यापारी नेगेटिव लिस्ट में शामिल सामान के आयात के लिए साख पत्र (एलसी) तब तक नहीं खोलेंगे या प्रेषण की अनुमति नहीं देंगे जब तक आयातक केवल विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रयोजनों के लिए अंकित लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर देता। अगर इस तरह के लाइसेंस के साथ खास शर्त, यदि कोई हो, जुड़ी हुई हो तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आयातक द्वारा लैटर ऑफ क्रेडिट खोलने या प्रेषण भेजने के लिए प्रस्तुत किये गये आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति, जब पूरी तरह उपयोग में लायी जा चुके तो प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रख ली जानी चाहिए और जब तक आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा या निरीक्षकों द्वारा जांच पूरी न हो जाये, संभाल कर रखी जानी चाहिए।

विदेशी मुद्रा के खरीदार के दायित्व

(i) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात की अनुमति है कि वह उस मुद्रा को प्राधिकृत व्यापारी को उसके द्वारा दी गयी घोषणा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए अथवा अन्य किसी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में ला सकता है, जिसके लिए फेमा अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, या विनियमों के अंतर्गत अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति है।

(ii) जहां पर विदेशी मुद्रा का उपयोग भारत में समान का आयात करने के लिए किया गया है, वहां पर प्राधिकृत व्यापारी यह तसल्ली कर ले कि आयातक उसकी संतुष्टि के अनुसार आयात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

(iii) अगर आयात के लिए भुगतान भारत में रखे गये विदेशी निर्यातक के अनिवासी खाते में जमा लिख कर किया जाता है तो प्राधिकृत व्यापारी यह तसल्ली कर ले कि प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा के अंतिम उपयोग के बारे में प्रावधानों का पालन किया गया है।

आयात भुगतानों के समायोजन के लिए समय सीमा

(i) मौजूदा विनियमों के अनुसार आयातों के लिए प्रेषण पोतलदान की तारीख से छ: माह के भीतर ही पूरे कर लिये जाने चाहिए, इनमें वे मामले शामिल नहीं हैं जहां राशियों को निष्पादकता की गारंटी (गारंटी ऑफ पर्फेमेंस) आदि के कारण रोके रखा गया था। तदनुसार, आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं, जिनमें पोतलदान की तारीख से छ: माह की अवधि से परे के भुगतान शामिल है, को बाह्य वाणिज्यिक उधारों के रूप में माना जाता है। आस्थगित अथवा विलम्ब से भुगतान आयातों के लिए, प्राधिकृत व्यापारी सितंबर 2002 तथा मई 2000 में जारी अनुदेशों का पालन करें।

(ii) कई बार विवादों, वित्तीय परेशानियों वगैरह की वजह से आयात देय राशियों के निपटान में देरी हो जाया करती है। प्राधिकृत व्यापारी इस तरह के विलंब के भुगतानों के संबंध में ब्याज की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी किताबों के आयात के लिए बिना किसी समय सीमा के बंधन के प्रेषणों की अनुमति दें, अगर ब्याज की अदायगी कर दी गयी हो।

अग्रिम प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी सामान के आयात के लिए निम्नलिखित शर्तों पर बिना किसी उच्चतम सीमा के अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :

(क) यदि अग्रिम प्रेषण की राशि 1,00,000 अमेरिकी डालर या उसके बराबर की राशि से अधिक है, तो भारत से बाहर किसी ख्यातिप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बैंक से गारंटी, एक बिना शर्त, वापिस न किया जाने वाला स्टैंडबाय साखपत्र या भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से गारंटी लेनी होगी, अगर इस तरह की गारंटी भारत से बाहर किसी ख्यातिप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय बैंक की काउंटर गारंटी के खिलाफ जारी की जाती है।

(ख) भारत में माल का भौतिक रूप से आयात प्रेषण की तारीख से छ: माह के अंदर (पूंजीगत माल के मामले में तीन वर्ष) कर दिया जाता है और आयातक इस बात का वचन देता है कि वह संबंधित अवधि के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर आयात के दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर देगा।

(ग) अगर सामान का आयात नहीं किया जाता है तो प्राधिकृत व्यापारी इस बात की तसल्ली करे कि अग्रिम प्रेषण की राशि को भारत में वापिस लौटाया जाता है या उसे किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है जिसके लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए फेमा के अंतर्गत अनुमति है।

आयात बिलों पर ब्याज

प्राधिकृत व्यापारी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना यूसेन्स बिल पर ब्याज का भुगतान पोतलदान की तारीख से तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए या अतिदेय ब्याज की अनुमति दे सकते हैं।

बदले में सामान (रिप्लेसमेंट) के आयात के लिए प्रेषण

जब सामान की कम सप्लाई (शार्ट सप्लाई) हो, उसे नुक्सान पहुंचा हो, वह शार्टलैण्ड किया गया हो या रास्ते में खो गया हो तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति को खो गये मूल सामान के खिलाफ साखपत्र बनाने के लिए कवर के रूप में पहले ही इस्तेमाल कर लिया गया हो तो मूल पृष्ठांकन को प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा खो गये सामान के मूल्य की सीमा तक रद्द कर दिया जाये और बदले में सामान (रिप्लेसमेंट गुड्स) के आयात के लिए रिज़र्व बैंक को पत्र भेजे बिना अनुमति दी जाये। नये प्रेषण की अनुमति उस स्थिति में दी जाये यदि खो गये सामान से संबंधित बीमा दावा आयातक के पक्ष में निपटाया गया है। इस बात की तसल्ली कर ली जाये कि बदले के सामान का परेषण लाइसेंस की वैधता अवधि के एक माह के भीतर भेज दिया जाता है।

रिप्लेसमेंट आयात के लिए गारंटी

अगर पहले आयात किये गये खराब हो गये सामान के भारत से फिर से बाहर भेजने के लिए पोतलदान किये जाने से पहले विदेशी सप्लायर द्वारा खराब हो गये सामान के बदले रिप्लेसमेंट सामान भेजा जा रहा है तो प्राधिकृत व्यापारी आयातक ग्राहक के अनुरोध पर, अपनी कारोबारी बुद्धि के हिसाब से खराब हो गये सामान को डिस्पैच करने/वापिस भेजने के लिए गारंटियां जारी कर सकते हैं।

आयात का सबूत

(i) ऐसे सभी आयातों के मामले में, जहां भारत में लाये गये आयात के लिए भेजी गयी/अदा की गयी विदेशी मुद्रा का मूल्य 25,000 अमेरिकी डालर या उसके बराबर है तो यह उस संबंधित प्रेषण के लिए माध्यम बननेवाले प्राधिकृत व्यापारी के लिए ज़रूरी है कि वह इस बात की तसल्ली कर ले कि आयातक आयात के साक्ष्य के रूप में सभी ज़रूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है।

(ii) जहां पर आयात गैर भौतिक रूप में, मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर अथवा इंटरनेट/डेटाकॉम चैनलों के माध्यम से डेटा और ई-मेल/फैक्स के ज़रिये ड्राइंग और डिज़ाइन के रूप में किये जाते हैं तो सनदी लेखाकार से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर/डेटा/ड्राइंग/डिज़ाइन आयातक द्वारा प्राप्त किया गया है।

(iii) डी/ए आधार पर होनेवाले आयातों के संबंध प्राधिकृत व्यापारी आयात बिल के प्रेषण भेजते समय आयात के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ज़ोर दें। यदि आयातक परेषण के न पहुंचने, परेषण आदि की सुपुर्दगी में देरी होने/सीमा शुल्क क्लियरेंस में देरी होने जैसे वास्तविक कारणों से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न कर पायें तो प्राधिकृत व्यापारी, यदि वे अनुरोध की सच्चाई से संतुष्ट हों तो वे प्रेषण की तारीख से तीन महीने से अनधिक की अवधि के लिए यथोचित समय के लिए आयात के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आयातक को समय दे सकते हैं।

(iv) सभी मामलों में प्राधिकृत व्यापारी आयात के साक्ष्य की प्राप्ति की पावती देंगे।

(v) आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा-परीक्षक (प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा-परीक्षकों सहित) आयात के प्रमाण के दस्तावेज़ों, मिसाल के तौर पर बिल ऑफ एन्ट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतियां या पोस्टल अप्रैज़ल फार्म या कस्टम एसेसमेंट सर्टिफिकेट आदि का शत-प्रतिशत सत्यापन करेंगे।

(vi) भारत में किये गये आयातों के दस्तावेज़ों को प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उनकी सत्यापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां जांच एजेंसियों द्वारा जांच चल रही है, दस्तावेज़ों को जांच एजेंसी से हरी झंडी मिलने के बाद ही नष्ट किया जाना चाहिए।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एन्ट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से प्रमाणपत्र अथवा कंपनी के लेखा-परीक्षक से प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकता है कि वह सामान जिसके लिए परेषण किये गये थे, वास्तव में भारत में आयात किया गया है, बशर्ते:

- प्रेषित की गयी विदेशी मुद्रा की राशि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर की राशि से कम है।
- आयातक भारत में शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनी है और जिसकी शुद्ध मिल्कियत उसके पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख के अनुसार सौ करोड़ रुपये से कम नहीं है।

या

- आयातक सार्वजनिक क्षेत्र की कोई कंपनी अथवा भारत सरकार अथवा उसके विभागों का उद्यम है।

यह सुविधा ऐसे वैज्ञानिक निकायों/अकादमिक संस्थाओं सहित स्वायत्त संस्थाओं को भी उपलब्ध करायी जा सकती है जिनके खाते भारत के महा नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित किये जाते हैं।

अनुवर्ती कार्रवाई

(i) यदि आयातक 25,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा वाले प्रेषण की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आयात का दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो प्राधिकृत व्यापारी अगले तीन महीने के लिए कड़ाई से अनुवर्ती कार्रवाई करे। इसके अंतर्गत आयात के साक्ष्य के रूप में यथोचित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए आयातक को पंजीकृत पत्र भेजना शामिल है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बीईएफ फॉर्म में रिज़र्व बैंक को छ:माही विवरणी भेजेंगे जिसमें 25,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऐसे आयात लेनदेनों के ब्यौरे दिये जायेंगे जिनके संबंध में आयातक ने प्रेषण की तारीख से छ: माह के भीतर आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने में चूक की है।

आयात बिल/दस्तावेज़ प्राप्त करना

(i) आयात बिल तथा दस्तावेज़ आपूर्तिकर्ता के बैंकर से भारत में आयातक के बैंकर द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिए। इसलिए प्राधिकृत व्यापारी ऐसे मामलों में प्रेषण न करें जहां आयात बिल विदेशी आपूर्तिकर्ता से आयातकों द्वारा सीधे ही प्राप्त कर लिये गये हैं। निम्नलिखित मामलों में अपवाद रहेगा :

(क) जहां आयात बिल का मूल्य 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है।

(ख) आयात बिल विदेशी कंपनियों की पूर्ण स्वामित्ववाली भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा उनकी मूल पार्टी द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

(ग) फ्री ट्रेड ज़ोन्स में सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, ट्रेडिंग हाउस, एक्सपोर्ट हाउस, सौ प्रतिशत निर्यात इकाइयों/इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।

(घ) जहां पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, अस्पतालों द्वारा जीवन रक्षक दवाओं/उपकरणों, आदि के आयात के संबंध में आयात बिल का मूल्य 25,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है और आयात ख्यातिप्राप्त अनुसंधान तथा अन्य विकास संस्थाओं द्वारा किये गये हैं।

(ङ) सभी लिमिटेड कंपनियों, उदाहरण के लिए सार्वजनिक लिमिटेड, डीम्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।

(ii) अन्य सभी मामलों में आयातक ग्राहकों के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से 25,000 अमेरिकी डॉलर तक के बिल सीधे ही प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी आयातक ग्राहक की वित्तीय हैसियत/हैसियत और ट्रैक रिकार्ड के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हों। इस तरह की सुविधा देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी को चाहिए कि वह विदेशी बैंकर अथवा ख्यातिप्राप्त क्रेडिट एजेंसी से अलग अलग विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करें।

पदनामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी का आयात

परेषण आधार पर स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी का आयात - पदनामित एजेंसियों/बैंकों द्वारा स्वर्ण का आयात ऐसे मामलों में परेषण आधार पर किया जा सकता है जहां स्वामित्व आपूर्तिकर्ता के पास ही रहेगा और आयातक (परेषिती) आपूर्तिकर्ता (परेषक) के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। आयात की लागत के लिए प्रेषण जब भी बिक्री होती है उसके अनुसार और विदेशी आपूर्तिकर्ता तथा पदनामित एजेंसी/बैंक के बीच हुए करार के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

बिना निर्धारित मूल्य आधार पर स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी का आयात - पदनामित एजेंसी बैंक इस शर्त पर सीधी खरीद आधार स्वर्ण का आयात कर सकता है कि भले ही आयात के समय स्वर्ण का स्वामित्व आयातक को दे दिया जायेगा, स्वर्ण का मूल्य बाद में उपयोगकर्ताओं को स्वर्ण की आयातक द्वारा बिक्री किये जाने के समय तय किया जायेगा।

फैक्टरिंग का आयात

प्राधिकृत व्यापारी ख्यातिप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय फैक्टरिंग कंपनियों, हो सके तो फैक्टर्स चेन इंटरनैशनल के सदस्यों के साथ मौजूदा अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना करार कर सकते हैं।

मर्चेन्टिंग ट्रेड

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करने के लिए मर्चेन्टिंग ट्रेड लेनदेनों अथवा मध्यस्थ ट्रेड लेनदेनों को संभालते समय ज़रूरी एहतियात बरते कि (क) लेनदेन में शामिल सामान भारत में आयात के लिए अनुमत है, (ख) इस तरह के लेनदेनों में विदेशी मुद्रा आउटले तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं है और (ग) सभी नियम विनियम और दिशानिर्देश जो भारत से बाहर निर्यात पर लागू होते हैं, निर्यात पक्ष द्वारा उनका पालन किया जाता है और मर्चेन्टिंग ट्रेड लेनदेनों के आयात पक्ष द्वारा आयात से जुड़े सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारियों से यह तसल्ली कर लेने की भी अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के लेनदेनों के निर्यात पक्ष के लिए भुगतान समय पर प्राप्त हो जाते हैं।

मुद्रा का आयात

चेकों सहित मुद्रा का आयात फेमा 1999 और फेमा (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली 2000 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनियमों के द्वारा संचालित होता है।

अशोक स्तंभ शृंखला के करेंसी नोट

अशोक स्तंभ शृंखला के करेंसी नोट आज़ादी के बाद वाले समय में 1949 से पहली बार शुरु किये गये। इन नोटों पर बाईं ओर जल-चिह्न विंडो में जल-चिह्न के रूप में अशोक स्तंभ का प्रतीक शामिल किया गया था। नोटों को सामान्य रोशनी में सामने की तरफ से पकड़ कर देखने पर अशोक स्तंभ दिखाई पड़ता है। अशोक स्तंभ शृंखला के इन नोटों की छपाई 1994-96 तक होती रही जब सुरक्षा की अतिरिक्त विशेषताओं वाले सभी मूल्यवर्गों के महात्मा गांधी शृंखला के नये नोट जारी किये गये थे। महात्मा गांधी शृंखला के नोटों पर दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है। अशोक स्तंभ शृंखला के विभिन्न मूल्यवर्गों के करेंसी नोटों को पहली बार जारी करने का वर्ष दर्शाने वाली तालिका निम्नानुसार है :

मूल्य वर्ग	पहली बार जारी करने का वर्ष
1 रुपया	1949
2 रुपये	1950
5 रुपये	1950
10 रुपये	1950
20 रुपये	1972
50 रुपये	1975
100 रुपये	1950
500 रुपये	1987

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
28 जून तथा 30 जून 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

मुद्रा अंतरण सेवा योजना
(पृष्ठ 1 से जारी)

अन्य शर्तें:

(i) इस व्यवस्था के अन्तर्गत केवल निजी प्रेषणों की अनुमति होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत चेरिटेबल संस्थाओं/ट्रस्टों को दान/योगदान प्रेषित नहीं किये जाने चाहिए।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत अलग अलग लेनदेनों पर 2500 अमेरिकी डालर की उच्चतम सीमा लगायी गयी है। 50,000 रुपये तक की राशियां नकद अदा की जा सकती हैं; इस सीमा के ऊपर कोई भी राशि चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर आदि के द्वारा या सीधे ही हिताधिकारी के खाते में जमा लिख कर अदा की जानी चाहिए।

(iii) कोई भी व्यक्ति वर्ष में केवल 12 बार ही राशियां प्राप्त कर सकता है।

अपवादात्मक मामलों में जहां हिताधिकारी कोई विदेशी पर्यटक है, इस सीमा से ज्यादा की राशियां नकद रूप से अदा की जा सकती हैं। इस तरह के लेन देनों के पूरे रिकार्ड लेखा-परीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा जांच के लिए रखे जायें।

शहरी सहकारी बैंक

निदेशकों को ऋण तथा अग्रिम

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा उन फर्मों/प्रतिष्ठानों/कंपनियों को, जिनमें उनके हित निहित हैं, किसी भी प्रकार का ऋण तथा अग्रिम (जमानती तथा बेजमानती दोनों) देने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। 29 अप्रैल 2003 से पहले दिए गए मौजूदा अग्रिमों को उनके देय होने की तारीख तक जारी रखा जाए। अलबत्ता, अग्रिमों को नवीकृत नहीं किया जाना चाहिए या और आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में ऐसे कई मामले आए थे जिनमें शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निदेशकों, उनके रिश्तेदारों अथवा उन फर्मों तक ही, जिनमें उनका हित निहित है, ऋणों तथा अग्रिमों के जमा होने के कारण बैंकों को इस प्रकार के खातों के अनर्जक आस्तियां बन जाने के चलते वित्तीय समस्याएं झेलनी पड़ी।

संयुक्त संसदीय समिति, जिसने शेयर बाजार घोटाले तथा उससे जुड़े मामलों की जांच की थी, ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उसके द्वारा जांच किए गए कुछ सहकारी बैंक के मामले में उभर कर सामने आने वाली ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा उन प्रतिष्ठानों को जिनमें उनके हित निहित हैं, ऋण तथा अग्रिम मंजूर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों की गैर-जमानती अग्रिम की सीमाएं बढ़ायी गयीं

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किसी एक उधारकर्ता/संबंधित समूह को मंजूर गैर-जमानती अग्रिमों पर उच्चतम सीमा को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय किया गया है :

अग्रिम की श्रेणी	गैर-अनुसूचित बैंक जिनकी मांग और मीयादी देयताएं इस प्रकार हैं		अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
	10 करोड़ रुपये से कम	10 करोड़ रुपये या अधिक	
खरीदी/बट्टाकृत अप्रलेखी हुंडियों/ मुलतानी हुंडियों और वसूली के लिए प्रेषित चेकों पर अनुमत आहरणों सहित सभी प्रकार के गैर-जमानती अग्रिम	50,000 रुपये	1,00,000 रुपये	2,00,000 रुपये

उपर्युक्त बढ़ी हुई सीमा ग्रेड II या III या IV के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगी। उनके लिए नीचे दिए गए अनुसार मौजूदा उच्चतम सीमा लागू रहेंगी :

अग्रिम की श्रेणी	अनरक्षित अग्रिमों की अधिकतम सीमा
10 करोड़ रुपये से कम की मांग और मीयादी देयताओं वाले शहरी सहकारी बैंक	25,000 रुपये
10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की मांग और मीयादी देयताओं वाले शहरी सहकारी बैंक	50,000 रुपये

किसी बैंक द्वारा अपने सदस्यों को मंजूर गैर-जमानती अग्रिम बैंक की मांग और मीयादी देयताओं के 33.33 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी जमानती ऋण, किसी अन्य सदस्य, जो बैंक का निदेशक नहीं है, की व्यक्तिगत जमानत पर होंगे। इनमें वे ऋण शामिल नहीं होंगे जो आपातकालीन स्थिति में तीस दिन की अस्थायी अवधि के लिए दिये जाते हैं और जिनकी राशि 5000 रुपये से अधिक नहीं होती।

अनर्जक ऋणों की पहचान

समस्त शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि एक लाख रुपये तक के सोने की जमानत पर दिए गए ऋणों और छोटे ऋणों की अनर्जक ऋणों के रूप में पहचान करने के लिए 90 दिन के मानदंड से छूट है। ऋणों के संबंध में ऋण को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 180 दिन का मानदंड 31 मार्च 2004 के बाद भी जारी रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों की दिशा में बढ़ने के लिए तथा और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को इससे पूर्व सूचित किया गया था कि 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष से किसी आस्ति को अनर्जक के रूप में तभी वर्गीकृत करें जब ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिन या उससे अधिक दिनों तक अतिदेय हो गई हो।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात

अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल मांग और अवधि देयताओं पर बनाये रखा जानेवाला आरक्षित नकदी निधि अनुपात 14 जून 2003 से 0.25 प्रतिशत अंक कम करके 4.75 प्रतिशत से 4.50 प्रतिशत कर दिया गया है।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखने में कमी पर दंडात्मक ब्याज

सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि अप्रैल 29, 2003 को कारोबार की समाप्ति से आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अनुरक्षण में कमी की राशि पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज संशोधित किया गया है। संशोधित दण्डात्मक ब्याज दर कमी की अवधि पर निर्भर करते हुए बैंक दर अधिक 3 प्रतिशत पाइंट अर्थात् (9.00) या बैंक दर अधिक 5 प्रतिशत पाइंट अर्थात् (11.00) होगा

विदेशी मुद्रा

विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा देशी टैरिफ क्षेत्रों की इकाइयों को सामग्री की आपूर्ति

देशी टैरिफ क्षेत्रों (डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज़) की इकाइयों को अब इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्रों (स्पेशल इकॉनॉमिक ज़ोन्स) द्वारा उनके द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्री के लिए भुगतान करने हेतु प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

नवम्बर 2002 में देशी टैरिफ क्षेत्रों की इकाइयों को शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ज़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस् और सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस् द्वारा उन्हें आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का भुगतान करने के लिए यह सुविधा प्रदान की गयी थी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**